



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1944 (श10)  
(सं0 पटना 183) पटना, मंगलवार, 28 फरवरी, 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी, 2023

अधिसूचना संख्या 04/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 111 दिनांक 28 फरवरी, 2023--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 545, दिनांक 29 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा : -

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) राब, उनसे भिन्न जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो ";

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14)04)],  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

28 फरवरी, 2023

एस० ओ० 111, दिनांक 28 फरवरी, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 04)],

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 28<sup>th</sup> February, 2023*

**Notification No. 04/2023- State Tax (Rate)**

S.O. 111, Date The 28<sup>th</sup> February, 2023--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Schedule, against S. No. 94, in Column (3), after the item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely: -

“(iii) Rab, other than pre-packaged and labelled”.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of March, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 04)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 183-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>